(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 20 / 2025

पंजीकरण संख्या :– 2025 / 89

बउनवान

निसार अहमद बिडवान पुत्र अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 16, हाट मोहल्ला, छीपाबड़ौद जिला बारॉ(राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 07.11.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.08.2025 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 02 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी जो निम्नलिखित है :–

1. 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2022 तक उपखंड अधिकारी, छीपाबडौद द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण (EWS) के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्रों की सूचना।
2. 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2022 तक उपखंड अधिकारी, छीपाबडौद द्वारा किन–किन व्यक्तियों व कुल कितने (EWS) के प्रमाण पत्र जारी किए है, उनकी संपूर्ण सूचना।

अपीलार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद के विरूद्व पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 13.10.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद को जरिये सम्मन क्रमांक 843–844 दिनांक 14.10.2025 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 843–844 दिनांक 14.10.2025 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक / आरटीआई / 25 / 3869–71 दिनांक 29.10.2025 से जवाब इस न्यायालय में भिजवाया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी दी गई। उक्त जवाब में अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक / आरटीआई / 2025 / 3403 दिनांक 08.09.2025 से अपीलार्थी को बिंदु संख्या 01 की सूचना दी जा चुकी है एवं 02 के संबंध में निम्नानुसार सूचित कर दिया गया है :–

1. 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2022 तक उपखंड अधिकारी, छीपाबडौद द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण (EWS) के तहत कुल 420 प्रमाण पत्र जारी किए गए।
2. बिंदु संख्या 02 के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) के अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई 02 बिंदुओं की सूचना के संबंध में अपीलार्थी को, लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद द्वारा बिंदु संख्या 01 की सूचना उपलब्ध करवा दी गई है एवं बिंदु संख्या 02 के संबंध में सूचित कर दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **07.11.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ